

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी करौली, Phone & Fax No. 07464-297003, Email- dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ()सर्वे/उ.व.सं./2019-20/ 268

दिनांक: 23-1-2020

निमित्त :-

अधिशायी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड, करौली।

विषय :- संपर्क सडक कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/0 के फोरेस्ट
क्लियरेंस/वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 2347 दिनांक 11.09.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा संदर्भित पत्र के साथ संपर्क सडक कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/0 के फोरेस्ट क्लियरेंस/वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस के सम्बन्ध में प्रस्ताव की हार्ड प्रति सात प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये गये हैं तथा ऑनलाईन प्रस्ताव 19.12.2019 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के ऑनलाईन व हार्ड कॉपी दोनों का अवलोकन करने पर निम्न कमियाँ पाई गई:-

1. एफ.आर.ए. प्रपत्र संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व खसरा मैप पर प्रस्तावित सडक को नहीं दर्शाया गया है और न ही चैनैजवार विवरण दिया गया है।
3. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में प्रस्तावित सडक का क्रॉस-सैक्शन संलग्न नहीं किया गया है।
4. इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित सडक ग्राम बीजलपुर व कोटा की वन भूमि में से गुजरना पाया गया है, जबकि प्राप्त प्रस्ताव में ग्राम पाटोर, कंवरपुर व कोटा में गुजरना बताकर सिर्फ ग्राम कंवरपुर की वन भूमि से ही गुजरना बताया गया है। अतः प्रस्तावित सडक को वर्णित तीनों ग्रामों के राजस्व मैप पर दर्शाकर भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
5. STATEMENT SHOWING DETAILS OF FOREST AREA & NON FOREST AREA PROPOSED FOR DIVERSION में FOREST AREA & NON FOREST AREA को एक ही खसरे में दर्शाया गया है जबकि अलग अलग खसरो में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रस्ताव को मूल ही भिजवाकर लेख है कि निम्न आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः इस कार्यालय को अतिशीघ्र भिजवायें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न - मूल प्रस्ताव की 6 हार्ड प्रति

भूबदीय

0/1 (श्रवण कुमार आर)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांक एफ ()सर्वे/उ.व.सं./2019-20/ 269-7)

दिनांक: 23-1-2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
3. जिला कलेक्टर, करौली।

0/1 उप वन संरक्षक
करौली